भारतीय भाषा संस्थान

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

हुणसुर रोड, मानसगंगोत्री, मैसूरु– 570 006

कनिष्ठ अध्येतावृत्ति की घोषणा

1. परिचय:

भारतीय भाषा संस्थान (भा.भा.सं.) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय भाषाओं के समृद्धिकरण हेतु स्थापित एक शीर्ष संस्थान है। यह भाषा नीतियों और उससे संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को परामर्श और सहायता देता है। देश की विविध भाषाओं, शिक्षा के स्तर और कई उद्देश्यों से जुड़ी विभिन्न मूल्यांकन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रायः इस संस्थान से परामर्श लिया जाता है।

अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, भा.भा.सं. प्रतिवर्ष **पाँच (05) कनिष्ठ अध्येतावृत्ति** प्रदान करके भाषा संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी), विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। चयनित अध्येताओं से इस संस्थान के विजन स्टेटमेंट से संबंधित विषयों पर काम करने की अपेक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में, अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं से ऐसे शोध की अपेक्षा की जाती है जो भाषाविज्ञान और भारतीय भाषाओं से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण डेटा या नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकें।

2. कनिष्ठ अध्येतावृत्ति योजना के उद्देश्य:

कनिष्ठ अध्येतावृत्ति का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में भाषाविज्ञान और भारतीय भाषाओं और संबंधित विषयों में उन्नत अध्ययन एवं शोध करने का अवसर प्रदान करना है।

i. यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) और 12(b) के अंतर्गत सम्मिलित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय।

ii. यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत ऐसे डीम्ड विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी से सहायता अनुदान के पात्र हैं।

iii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय।

iv. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

इसका विशिष्ट उद्देश्य पूर्णकालिक आधार पर संस्थान के साथ संबद्ध होकर शोध गतिविधियों, संस्थान और उसकी योजनाओं/ परियोजनाओं द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्रों में समसामयिक संदर्भ में भाषाविज्ञान और भाषा ज्ञान के आधार का निर्माण करना है।

3. अध्येतावृत्ति योजना का क्षेत्र:

कनिष्ठ अध्येतावृत्ति का उद्देश्य युवा शोधार्थियों को भाषा विज्ञान, भारतीय भाषाओं और संबंधित विषयों में डॉक्टोरल शोध-कार्य करने में सक्षम बनाना है। अध्येता अपनी पसंद के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ शोध संस्थान में कार्य कर सकते हैं। संस्थान समस्या की संकल्पना में मौलिक सोच और भाषा शिक्षा से संबंधित शोध-कार्य में नवाचार पद्धति के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

4. कनिष्ठ अध्येता के लिए पात्रता:

4.1 स्नातक में न्यूनतम 50% और स्नातकोत्तर में 55% अंक या भाषा विज्ञान/किसी भारतीय भाषा में समकक्ष ग्रेड। एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

4.2 आवेदन की अंतिम तिथि को शोधार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट होगी।

4.3 जो अभ्यर्थी पहले ही किसी अन्य अध्येतावृत्ति का लाभ उठा चुके हैं/प्राप्त कर रहें हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। आवेदक को आवेदन के साथ यह प्रमाणित करना होगा कि उसने किसी अन्य अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं उठाया है या उठा रहा है।

4.4 भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रामाणिक छात्र जिन्होंने पीएच.डी. के लिए पंजीकरण कराया है या अपने पीएच.डी. की दिशा में काम कर रहे हैं आवेदन के पात्र हैं।

4.5 अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम **तीन (03)** वर्ष है।

4.6 कनिष्ठ अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित अध्येतावृत्तियों की संख्या **पाँच (05)** है।

4.7 कनिष्ठ अध्येता के लिए वित्तीय सहायता की राशि रु. 20,000/- प्रति माह और वार्षिक आकस्मिक अनुदान 20,000 रुपये है।

5. अन्य शर्तें:

5.1 अभ्यर्थी बेरोजगार होना चाहिए तथा अध्येतावृत्ति केवल अत्यंत योग्य अभ्यर्थियों को दी जाएगी।

5.2 कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने यू.जी.सी द्वारा निर्धारित अवधि में प्री-डॉक्टरल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। अध्येतावृत्ति की अवधि यू.जी.सी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोर्स-वर्क पूरा होने और शोध विषय के पंजीकरण से मानी जाएगी।

5.3 कोई भी अध्येता एक ही प्रकार की अध्येतावृत्ति का एक से अधिक बार हकदार नहीं होगा।

5.4 भा.भा.सं. से कनिष्ठ अध्येतावृत्ति स्वीकार करते समय, अध्येता को किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से कोई अन्य अध्येतावृत्ति नहीं लेनी है।

5.5 कनिष्ठ अध्येता को संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक आधार पर काम करना होगा। अपने शोध-निर्देशक के अनुमोदन तथा संस्थान को सूचित करके वे क्षेत्र कार्य/पुस्तकालय परामर्श पर जा सकते हैं। शेष अवधि में उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में काम करना होगा।

5.6 प्रत्येक माह के अंतिम दिन अपने शोध-निर्देशक के माध्यम से भा.भा.सं. को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

5.7 प्रत्येक कनिष्ठ अध्येता को वर्ष के अंत में एक सेमिनार प्रस्तुत करना होगा।

5.8 अध्येतावृत्ति के दौरान, अभ्यर्थियों को अपने शोध-विषय/विषय से संबंधित कम से कम दो शोध-पत्र (एक अनुक्रमित जर्नल में) प्रकाशित करने होंगे।

5.9 अभ्यर्थी द्वारा किए गए शोध-कार्य की आवधिक/समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यदि शोध में प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में संस्थान द्वारा दी जा रही अध्येतावृत्ति बंद कर दी जाएगी।

5.10 शोधार्थी को अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान शोध-कार्य से संबंधित अपने सभी शोध प्रकाशनों में सहायता प्रदान करने के लिए भा.भा.सं.के प्रति आभार व्यक्त करना होगा और इसकी एक प्रति संस्थान में जमा करनी होगी।

5.11 अभ्यर्थी को यदि अध्येतावृत्ति मिलती है तो उसे आवेदन के साथ अपने शोध-निर्देशक का बायोडाटा जमा करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर भा.भा.सं. को शोध-कार्य में शोधार्थी को सलाह देने का अधिकार सुरक्षित है। यदि शोधार्थी को भा.भा.सं. से सह-निर्देशक की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे निर्देशक तथा विश्वविद्यालय/संस्थान की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।

5.12 तीसरे साल के अंत में अध्येतावृत्ति आरंभ होने की तारीख से या डॉक्टरेट थीसिस जमा करने के दिन या जो भी पहले हो मान्य होगी।।

5.13 अंतिम तीन महीनों की अध्येतावृत्ति और अंतिम वर्ष की आकस्मिक अनुदान राशि थीसिस जमा करने के पश्चात संस्थान द्वारा जारी की जाएगी।

5.14 संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने या अध्येतावृत्ति वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दिशा-निर्देशों की व्याख्या या ऊपर छूट गए/अकथित किसी भी अन्य मुद्दे से संबंधित अंतिम अधिकार निदेशक, भा.भा.सं. के पास सुरक्षित है।

6. चयन प्रक्रिया:

चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा, जिसमें प्रस्तावों की प्रस्तुति भी शामिल है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को सबसे छोटे मार्ग से AC III टियर ट्रेन के किराए का भुगतान किया जाएगा।

7. आरक्षण:

आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू होगा।

8. अध्येतावृत्ति संवितरण:

भारतीय भाषा संस्थान मासिक आधार पर पी.एफ.एम.एस/ऑनलाइन माध्यम से अध्येता के खाते में अध्येतावृत्ति अंतरित करेगा। इसके लिए प्रत्येक अध्येता को संस्थान में तिमाही आधार पर 'उपस्थिति और संतोषजनक प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र' की रिपोर्ट भा.भा.सं. में जमा करनी होगी। दूसरी तिमाही से मासिक अध्येतावृत्ति का संवितरण उपरोक्त प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के उपरांत ही होगा। अध्येता द्वारा प्रति वर्ष किए गए वास्तविक व्यय का भुगतान अध्येता द्वारा हस्ताक्षरित तथा शोध-निर्देशक/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरांत ही अध्येता द्वारा जमा किए गए बिलों/ वाउचरों की जाँच के बाद ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान से इसे अध्येता के खाते में अंतरित किया जाएगा। ।

9. कार्य की जाँच:

कनिष्ठ अध्येतावृत्ति शोधार्थियों को अपने शोध निर्देशकों/विभागाध्यक्षों और अनुसंधान सलाहकारों द्वारा विधिवत अग्रेषित मासिक प्रगति रिपोर्ट भा.भा.सं. को भेजनी होगी। विशेषज्ञों की एक समिति प्रगति की समीक्षा करेगी। दूसरे वर्ष के अंत में एक शोध परिसम्मेलन आयोजित किया जाएगा जहाँ अध्येता अपने शोध की प्रगति प्रस्तुत करेंगे। यदि शोध की प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में अध्येतावृत्ति समाप्त करने का अधिकार भा.भा.सं. के पास सुरक्षित है।

10.. अवकाश के नियम:

अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान अवकाश के नियम संबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार लागू होंगे।

11. थीसिस का प्रकाशन:

पीएच.डी. उपाधि मिलने के पश्चात कनिष्ठ अध्येता को थीसिस की एक प्रति प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भा.भा.सं. में जमा करनी होगी। भा.भा.सं.उचित रूप से थीसिस के प्रकाशन पर विचार कर सकता है। अध्येता को अपने कार्य को अन्यत्र प्रकाशित करने के लिए आभार सहित अनुमति लेनी होगी।

12. आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने के लिए कृपया भा.भा.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://apply.ciil.org/ पर 07 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में, पूर्ण रूप से भरे आवेदन **fellowships.ciil@gmail.com** पर 07 अगस्त 2023 तक ईमेल द्वारा प्रेषित भी किए जा सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव की प्रतियों के अतिरिक्त आवेदन के साथ प्रस्तावित शोध विषय पर लगभग 2500-3000 शब्दों का सारांश होना चाहिए, जिसमें (ए) शोध का औचित्य और उद्देश्य, (बी) संरचनात्मक अवधारणा (सी) प्रस्तावित पद्धति, और (डी) शोध का संभावित योगदान सम्मिलित हो।। ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल 07 अगस्त 2023 तक खुला है।

निदेशक, भा.भा.सं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

प्रभारी अधिकारी
अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना
भारतीय भाषा संस्थान,
हुणसुर रोड, मानसगंगोत्री,
मैसूरु– 570 006
कर्नाटक, भारत
फ़ोन: 0821-2345087
ईमेल: fellowships.ciil@gmail.com